भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2511

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति

2511. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई प्रगति का प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य कौशल विकास पहलों के अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित कौशल विकास केंद्रों की कुल संख्या कितनी है और इनके अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि उक्त कार्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरुप हो और उम्मीदवारों को रोजगारपरक कौशल प्रदान करे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने तथा उम्मीदवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीमें	**प्रशिक्षित**	**प्रमाणित**
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30 जून 2025 तक)	1,64,07,263	1,29,21,524
जेएसएस योजना (2018-19 से 30 जून 2025 तक)	31,43,415	30,96,387
एनएपीएस (2018-19 से 30 जून 2025 तक)	40,81,154	6,76,634
सीटीएस (एआईटीआई) (सत्र 2018 से सत्र 2024 तक)	92,66,381 (नामांकित)	55,86,435

(ग): एमएसडीई की योजनाएँ माँग आधारित हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकता के आधार पर स्थापित या संचालित किए जाते हैं। पूरे भारत में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण इस प्रकार है:

पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी+एसपी)	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई
12,838	289	51,895	14,615

*अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएँ (एसपी)

एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत, पारंपरिक क्षेत्रों से लेकर आधुनिक युग/उभरते क्षेत्रों तक, अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों को शामिल करने वाली जॉब रोल/ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत शामिल जॉब रोलों/ट्रेडों का विवरण इस प्रकार है:

पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस	सीटीएस (आईटीआई)
750 से अधिक जॉब रोल	51 जॉब रोल	266 निर्दिष्ट ट्रेड 750 से अधिक वैकल्पिक ट्रेड	169 ट्रेड

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हों और इस प्रकार युवाओं की नियोजनीयता में सुधार हो, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने हेतु एक व्यापक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज़ से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएँ विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ जोड़ें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के अग्रणी उद्योगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया है।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, आधुनिक युग/भावी कौशल वाली जॉब रोलों को आगामी बाजार-मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

(vi) डीजीटी ने सीटीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में आधुनिक युग/भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(vii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारियाँ आधुनिक तकनीकों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं।

(viii) अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस, उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक समूह बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ix) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को एकीकृत करके आजीवन चलने वाली सेवाएँ प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, अभ्यर्थी रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

(x) एमएसडीई प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोज़गार मेलों और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेलों (पीएमएनएएम) का आयोजन करता है।

(ङ): कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके तृतीय-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्तूबर 2020 में किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार प्रदान किए गए और आरपीएल घटक के अंतर्गत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को अपने अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिला या उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जेएसएस: वर्ष 2020 में जेएसएस योजना पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना से उन लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी करने में मदद हुई है जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोज़गार मिला है या वे स्व-रोज़गार में लगे हैं। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि 77.05% लाभार्थी शिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। इस अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि इस योजना में कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य स्व-रोज़गार को बढ़ावा देना है।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोजनीयता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना के नए संस्करण में, सरकारी अंशदान को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अंतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की अनुशंसा की गई थी।

आईटीआई: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय **(**एमएसडीई) द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों की ट्रेसर अध्ययन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण करने वालो में से 63.5% को रोज़गार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-रोज़गार में हैं)।

कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों/संस्थानों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

पीएमकेवीवाई

• पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों का नामांकन आधार आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत कोई फर्जी नामांकन न हो।

• पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की उपस्थिति पर नज़र रखने हेतु आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) मशीन स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण केंद्रों को भुगतान को उपस्थिति से जोड़ा गया है।

• निम्नलिखित निगरानी उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्रों और अभ्यर्थियों के कौशल विकास जीवनचक्र प्रगति की समवर्ती निगरानी करना :

i. *कॉल सत्यापन*: प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अभ्यर्थियों की फीडबैक प्राप्त करने के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर अभ्यर्थियों को मैन्युअल कॉल की जाती हैं।

ii. *केंद्र का आकस्मिक दौरा*: योजना अनुपालन मानकों की जाँच के लिए वास्तविक समय में आकस्मिक दौरा किया जाता है।

iii. *वर्चुअल सत्यापन*: यह प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर पीएमकेवीवाई अनुपालन की आभासी निगरानी और सत्यापन के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी तंत्र है। प्रशिक्षण केंद्र को, जब भी पूछा जाए, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जियोटैग और टाइम-स्टैम्प्ड छवियों के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

iv. प्रशिक्षण केंद्रों को परिणाम-आधारित भुगतान: प्रशिक्षण केंद्रों को भुगतान कार्यक्रम के पूरे जीवनचक्र के दौरान उपस्थिति, प्रमाणन और नियोजन जैसे विशिष्ट परिणामों पर आधारित होता है।

अनुपालन न करने वाली संस्थाओं को दंडित करने (वित्तीय दंड सहित) के लिए एक दंड मैट्रिक्स तैयार किया गया है। गंभीर गैर-अनुपालन या किसी भी अनैतिक व्यवहार के मामलों में, प्रशिक्षण केंद्र को छह माह की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है या कौशल इको सिस्टम से काली सूची में डाला जा सकता है।

एनएपीएस

• एनएपीएस के अंतर्गत, इस योजना की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और एक योजना निगरानी एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) का गठन किया गया है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समितियाँ (एसआईआरसी) गठित की गई हैं।

• इस योजना की निगरानी प्रत्येक जिले में राज्य शिक्षुता सलाहकार (एसएए) और सहायक शिक्षुता सलाहकार (एएए) के माध्यम से भी की जाती है, इसके अलावा इस

उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का भी उपयोग किया जाता है। शिक्षुता पोर्टल योजना की निगरानी के लिए केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है, तथा उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करता है।

जेएसएस

• एमएसडीई समय-समय पर समीक्षा बैठकों और फील्ड विजिट के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। योजना कार्यान्वयन की निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है।

• राज्य स्तर पर, जेएसएस की निगरानी और पर्यवेक्षण आरडीएसडीई द्वारा किया जाता है। आरडीएसडीई के अधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जेएसएस का दौरा और निरीक्षण करते हैं।

• जेएसएस स्तर पर, प्रत्येक जेएसएस में प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) नामक एक 16-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जेएसएस का बीओएम समय-समय पर जेएसएस द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। बीओएम के सदस्य समय-समय पर कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करते हैं और जेएसएस के कामकाज में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने हेतु बीओएम बैठक में अपने अवलोकन प्रस्तुत करते हैं।

डीजीटी

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संबंधित राज्य निदेशालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में संचालित होते हैं। ये राज्य निदेशालय आईटीआई के दैनंदिन कामकाज की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• निगरानी ढांचे को और सुदृढ़ बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईटीआई के लिए एक डेटा-आधारित ग्रेडिंग पद्धति शुरू की है। यह ग्रेडिंग प्रणाली प्रवेश, परीक्षा आदि जैसे व्यापक मानदंडों के आधार पर आईटीआई के निष्पादन का मूल्यांकन करती है।

*****